उत्तराखण्ड शासन

मुख्यमंत्री

मेजर जनरल (से0नि0) श्री भुवन चन्द्र खंडूड़ी

का

वित्तीय वर्ष 2007–2008 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

बजट भाषण

वर्ष 2007–08

मा0 अध्यक्ष महोदय,

मैं, आपकी अनुमति से इस परम सम्मानित सदन के सम्मुख वित्तीय वर्ष 2007–08 का बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस गरिमामयी सदन के समक्ष प्रथम बार बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है तथा मेरा प्रयास है कि सभी माननीय सदस्यों तथा देवभूमि के नागरिकों के सक्रिय सहयोग से यह बजट राज्य के विकास में सही दिशा में तीव्रता लायेगा।

आर्थिक परिदृश्य :

यह मेरे लिये अत्यन्त गर्व का विषय है कि मुझे उत्तराखण्ड की गरिमामयी विधानसभा के समक्ष वर्ष 2007–08 का आय–व्ययक प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। राज्य का बजट प्रस्तुत करना मात्र संवैधानिक प्रक्रिया को पूर्ण करना ही नहीं अपितु राज्य की वित्तीय स्थिति की दिशा एवं दशा को भी स्पष्ट करने का माध्यम है। इस राज्य का विकास राज्य निर्माण के आन्दोलनकारियों की भावना के

अनुरूप हो, यह हमारी सरकार की प्राथमिकता है। गत वर्षों में विकास के लिये जो ऋण/देयतायें (Liabilities) आयीं, उसके कारण इस वर्ष रु0 1150.42 करोड़ (रुपये एक हजार एक सौ पचास करोड़ बयालीस लाख) की धनराशि ब्याज के रूप में दिया जाना अनुमानित है। विकास की गति से समझौता किये बिना हमारा प्रयास होगा कि राज्य ऋणग्रस्तता के जाल में न फंसे।

वार्षिक योजना :

वर्ष 2007–08 हमारी सरकार का प्रथम वर्ष होने के साथ–साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना का भी पहला वर्ष है। अतः हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि वार्षिक योजना वास्तविक वित्तीय संसाधनों पर आधारित हो। गत 5 वर्षों में अत्याधिक ऋण लेकर योजनाएं बनायी गयीं, जिससे राज्य की ऋणग्रस्तता की स्थिति उत्पन्न हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि योजना का आकार गत वर्ष के रु0 4000 (रुपये चार हजार करोड़) करोड़ से बढ़कर 2007–08 में रु0 4378 करोड़ (रुपये चार हजार तीन सौ अठत्तर करोड़) हो गया है तथा हमारा यह प्रयास रहेगा कि आगामी वर्षों में इसमें और अधिक बढ़ोतरी हो।

मैं वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक के मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा

- **बजट में कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया गया है।**

- वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शी कार्यशैली को आधार बनाकर हमारी सरकार **राज्य बनने के बाद प्रथम बार राजस्व घाटे के बजाय राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत कर रही है।** गत वर्ष के मूल बजट में रु0 155.71 करोड़ (रुपये एक सौ पचपन करोड़ इकहत्तर लाख) का राजस्व घाटा अनुमानित किया गया था परन्तु वित्तीय वर्ष के अन्तिम चरण में कतिपय बाजार ऋण के किश्तों के न लेने एवं अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण रखने के कारण पुनरीक्षित आय–व्ययक में भी ऋण को कम करके राजस्व घाटा समाप्त करने का प्रयास किया गया है।

- प्रदेश में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। **हमारी सरकार अधिनियम के प्राविधानों तथा राज्य के लिये सुदृढ़ वित्तीय आधार तैयार करने के लिये वित्तीय सुधार कार्यक्रम को कठोरता से लागू करने के लिये**

कृतसंकल्प है। इसी क्रम में प्रस्तुत 2007–08 के बजट में राजकोषीय घाटा मात्र रु0 1460.21 करोड़ (रुपये एक हजार चार सौ साठ करोड़ इक्कीस लाख) रह गया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.47 प्रतिशत है, यह निर्धारित मानक 4.54 प्रतिशत की सीमा में है।

- हमारी सरकार ने उत्तराखण्ड की **मातृ शक्ति को सम्मानित करते हुए महिलाओं के समग्र विकास के उद्देश्य से राज्य में प्रथम बार पृथक से जेन्डर बजट प्रस्तावित किया है।**

- **बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "गौरा देवी कन्या धन योजना" को व्यापक स्वरूप देते हुए समस्त बी0पी0एल0 परिवारों को आच्छादित किया जायेगा। इस योजना हेतु रु0 20 करोड़ (रुपये बीस करोड़) को बजट प्राविधान किया गया है।**

- उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में ईंधन तथा चारे की कमी के कारण महिलाओं पर जंगलों से घास तथा लकड़ी

लाने की बाध्यता रहती है। **महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वनों को बचाने हेतु दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन** की उपलब्धता के लिये नई मांग के माध्यम से रु0 8.00 करोड़ (रुपये आठ करोड़) की व्यवस्था की जा रही है।

- **प्रदेश के प्रत्येक विकासखण्ड में "चारा बैंक"** स्थापित करने के लिये हमारी सरकार वचनबद्ध है। यह कार्य चरणबद्ध ढंग से प्रदेश में संचालित किया जायेगा।

- भेषज संघों की प्राथमिक एवं केन्द्रीय समितियों में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में अपर्याप्त है। इन समितियों में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 30 प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

- **नवजात शिशुओं** की घातक बीमारियों से तत्काल चिकित्सा हेतु विभिन्न महिला चिकित्सालयों में **नियोनेटल यूनिट** की स्थापना की जायेगी।

- महिला निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

- शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों एवं जन–जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित कराया जा रहा है। गत वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना रु0 160 करोड़ (रुपये एक सौ साठ करोड़) के आकार को बढ़ाते हुए इस वर्ष रु0 253 करोड़ (रुपये दो सौ तिरपन करोड़) कर दिया गया है।

- इस सीमान्त राज्य के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं। इसी दृष्टिकोण से **हमने राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया है।**

- प्रदेश को आन्तरिक रूप से सुरक्षित करने हेतु अभिसूचना एवं सुरक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष प्रकोष्ठ एवं सर्विलांस इकाईयों की स्थापना की जा रही है।

- पुलिस प्रशासन को राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह बनाने हेतु **राज्य स्तरीय एवं जनपद स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन किया गया है।**

- नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के रोगियों एवं उनके परिवारजनों की सुविधा हेतु किराये पर विश्राम गृह की व्यवस्था की जा रही है।

- आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक आयुष ग्राम की स्थापना की जायेगी।

- **चार धाम यात्रा मार्गों/पर्यटक स्थलों पर यात्रियों की सुविधा** हेतु समग्र व्यवस्था की जाएगी जिसमें पेयजल, शौचालयों तथा ट्रोमा सेन्टर आदि सम्मिलित होंगे।

- पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल के अन्तर्गत टपकेश्वर (गढ़ीकैन्ट) के निकट पर्यटन विभाग की 10 एकड़ भूमि पर उच्च श्रेणी का होटल/कन्वेंशन सेन्टर के निर्माण हेतु शीघ्र ही अनुबन्ध किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्रदेश को लगभग रु0 7.00 करोड़ (रुपये सात करोड़) वार्षिक आय अनुमानित है।

- **"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना"** के अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिये योजना में ऋण राशि रु0 15.00 लाख (रुपये पन्द्रह लाख) से बढाकर रु0 20.00 लाख (रुपये बीस लाख) तथा राज सहायता रु0 3.75 लाख (रुपये तीन लाख पिचहत्तर हजार) से रु0 5.00 लाख (रुपये पांच लाख) अधिकतम कर दी गई है।

- राज्य के सुदूर क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों पर सुगमता से पहुंचने के लिये पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप स्वरूप में रज्जुमार्ग (Ropeway) स्थापित किये जायेंगे। केदारनाथ एवं यमुनोत्री हेतु रज्जुमार्ग की कार्य योजना तैयार की जा रही है तथा अन्य प्रमुख स्थानों हेतु अध्ययन किया जा रहा है।

- **जल स्रोतों/चाल–खाल के पुनर्जीवन एवं नौलों के उचित रख–रखाव हेतु मिशन मोड में वृहद् कार्यक्रम प्रस्तावित है।**

- **ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को दूर करने हेतु** वर्तमान वर्ष में रु0 185.45 करोड़ (रुपये एक सौ

पिच्चासी करोड़ पैंतालीस लाख) का व्यय करते हुए कुल 2589 तोकों को पेयजल से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।

- **पतितपावनी गंगा तथा यमुना को प्रदूषण मुक्त करना** हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है--इस हेतु नई योजना प्रस्तावित की गई है।

- नगरीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्रथम बार सार्वभौम रोजगार योजना शहरों में संचालित की जायेगी।

- कृषकों की समृद्धि एवं उत्थान हेतु किसान सूचना एवं सलाह केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

- राज्य में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण 2002 के अनुसार आवासविहीन ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवास बनाया जाना सम्भव नहीं है या ऐसे परिवार जिनके मकान पूर्णतः कच्चे हैं और इन्दिरा आवास योजना की परिभाषा के अनुसार वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिये **"दीन दयाल ग्रामीण आवास योजना"** प्रस्तावित की जा

रही है, जिसके लिये रु0 32.50 करोड़ (रुपये बत्तीस करोड़ पचास लाख) का प्रविधान किया गया है।

- प्रदेश में स्थानीय उत्पादों, वस्तुओं, औषधियों एवं हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं के विक्रय हेतु स्थानीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करने एवं विपणन की सुविधा देने हेतु **सोबन सिंह जीना ग्रामीण विपणन केन्द्र (रूरल बिजनेस हब)** की स्थापना की जा रही है।

- 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में विमानन गतिविधियों को बढ़ावा देने, तकनीकी विशेषता प्राप्त करने एवं विमानन क्षेत्र के प्रति उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु **उड्डयन विश्वविद्यालय/अकादमी की स्थापना प्रस्तावित है।**

- सार्वजनिक सेवा यानों से सड़क **दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता** प्रदान किये जाने हेतु मृतक आश्रित को रु0 50 हजार (रुपये पचास हजार), गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रु0 20 हजार (रुपये बीस हजार) एवं सामान्य घायल को रु0 5 हजार

(रुपये पांच हजार) की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान किये जाने का प्राविधान लागू कर दिया गया है।

- राज्य में तीव्र गति से हो रहे औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिये **जयानन्द भारती श्रम बस्तियों का निर्माण** किया जायेगा, जिसके लिये प्राविधान किया गया है।

- **औद्योगिक विकास** त्वरित आर्थिक विकास एवं **रोजगार सृजन** का वाहक है। **पर्वतीय परिवेश** में वन, कृषि, प्रसंस्करण, औषधि तथा सुगंधित पौधों आदि को संसाधन का आधार बनाकर **लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जायेगा।**

- यह हर्ष का विषय है कि **प्रथम साउथ एशियन शीत खेलों की मेजबानी** का दायित्व, एशियन शीत ओलंपिक संघ द्वारा राज्य को प्रदान किया गया है। इन खेलों के सफल आयोजन के लिए राज्य के बजट में रु0 10 करोड़ (रुपये दस करोड़) का प्राविधान किया गया है। केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा भी इन खेलों के सफल आयोजन हेतु इस वर्ष रु0 50 करोड़ (रुपये पचास

करोड़) की अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

- हर्बीकल्चर के विकास के लिये औषधीय महत्व की शाकीय एवं वृक्ष प्रजातियों के रोपण के लिये इस वर्ष रु0 45 लाख (रुपये पैंतालीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

- जल **संरक्षण करने वाली चौड़ी पत्तियों के वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास** के लिए सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन की नई योजना हेतु रु0 2 करोड़ (रुपये दो करोड़) का प्राविधान किया गया है।

- मेरी सरकार प्रदेश में **फूलों की खेती को प्रोत्साहन** प्रदान कर इस वर्ष इसके अधीन आच्छादित क्षेत्रफल को डेढ़ गुना से अधिक करने के लिये प्रयास करेगी।

- प्रदेश में **गोवध पर प्रतिबंध** को व्यापक बनाने हेतु आवश्यक विधिक व्यवस्था की जायेगी।

- केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी, 2007 से 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता/महंगाई राहत की घोषणा की है, अतः उसी दर तथा उसी तिथि से राज्य सरकार द्वारा भी अपने

कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

- राज्य में पत्रकारों के कल्याण हेतु कोष में वर्तमान प्राविधान को बढ़ाकर भविष्य में रु0 3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) किया जायेगा।

- उत्तराखण्ड में भूमि के अनियंत्रित क्रय–विक्रय की बढ़ती प्रवृत्ति तथा **भूमाफियाओं पर अंकुश** लगाये जाने हेतु हमारी सरकार द्वारा सुसंगत नियमों में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

गृह एवं आन्तरिक सुरक्षा :

राज्य की प्रगति की आधारशिला सुचारु कानून–व्यवस्था एवं सुरक्षा का वातावरण है। हमारी सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था प्रणाली को आधुनिक साधन सम्पन्न एवं कारगर बनाना चाहती है।

इस सीमान्त राज्य के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रदेश की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं। इसी दृष्टिकोण से हमने राज्य सुरक्षा आयोग का गठन किया है।

पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई हेतु राज्य/ जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरणों का भी गठन किया गया है।

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु पुलिस व्यवस्था को उच्चस्तरीय बनाया जा रहा है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत वाहनों, संचार उपकरणों, आधुनिक अस्त्र–शस्त्रों से पुलिस को लैस किया जा रहा है।

भारत–नेपाल सीमा पर वामपंथी माओवादी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के लिए इस वर्ष नये थाने–चौकियों की स्थापना की गयी है।

फायर स्टेशन लोहाघाट, जसपुर एवं विकासनगर हेतु फायर कर्मियों की स्वीकृति प्रदान की गयी।

महिलाओं की सहायता हेतु महिला हैल्प लाईन तथा थानों में महिला डेस्क की स्थापना की गयी है जिससे उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो।

पुलिस विभाग हेतु आयोजनागत मद में रु0 9 करोड़ (रुपये नौ करोड़) व आयोजनेत्तर मद में रु0 387.32 करोड़

(रुपये तीन सौ सत्तासी करोड़ बत्तीस लाख) का प्रस्ताव किया गया है।

इस वर्ष नई मांगों के माध्यम से जनपद ऊधमसिंह नगर में थाना जी.आर.पी. काशीपुर की स्थापना, 11 मंत्रियों हेतु वाहनों की व्यवस्था, अभिसूचना एवं सूचना विभाग में विशेष प्रकोष्ठ एवं सर्विलांस इकाईयों की स्थापना एवं वाहन/उपकरणों का क्रय, अभिसूचना विशेष प्रकोष्ठ में सर्विलांस इकाईयों तथा सेलाकुई, रोशनाबाद एवं पंतनगर में फायर स्टेशनों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

सड़क एवं सेतु–लोक निर्माण :

हमारी सरकार राज्य के शहरों एवं कस्बों में सड़कों के पुनर्निर्माण एवं विस्तारीकरण के साथ ही ग्रामीण अंचलों को भी सड़क एवं पुल से जोड़ने के लिये कृत संकल्प है।

विगत वर्षों में लोक निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं, यथा–राज्य योजना, जिला योजना, एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों के विरुद्ध अवशेष कार्यों की लागत प्रारम्भिक अनुमान के आधार पर रु0 3000 करोड़ से भी अधिक है। आप सभी

सहमत होंगे कि इन कार्यों को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों एवं अतिरिक्त कार्य–क्षमता की आवश्यकता पड़ेगी। अतः इसी के दृष्टिगत कार्यों को श्रेणीबद्ध करके प्राथमिकता पर 50 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हुए कार्यों को प्रथमतः पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। ऐसे कार्यों की वर्तमान लागत लगभग रु0 240 करोड़ (रुपये दो सौ चालीस करोड़) है। हमारा यह प्रयास रहेगा कि इन कार्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पूर्ण कर लिया जाय ताकि लगभग 244 ग्रामों को सड़क–मार्ग से जोड़ा जा सके। इस वित्तीय वर्ष में कार्यों को पूर्ण करने एवं कार्यों की प्रगति बढ़ाने हेतु आय–व्ययक में कुल रु0 811.36 करोड़ (रुपये आठ सौ ग्यारह करोड़ छत्तीस लाख) की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

इस वित्तीय वर्ष में 1865 कि.मी. मार्गों का नवनिर्माण, 1965 कि.मी. मार्गों का पुनः निर्माण तथा 122 सेतुओं का निर्माण किया जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त निर्मित मार्गों की राइडिंग क्वालिटी का सुधार किया जाना है। कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से आच्छादित योजनाओं के लिए समर्पित खण्डों की व्यवस्था की जा रही है।

केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 19 योजनाओं के लिये 04 सेतु एवं 119 कि.मी. लम्बाई का अवशेष कार्य निर्माणाधीन है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में रु0 94.14 करोड़ (रुपये चौरान्नवे करोड़ चौदह लाख) की धनराशि प्रस्तावित है। बाह्य सहायतित योजना (एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से ऋण पोषित) के अन्तर्गत वर्ष 2007–08 में 300 कि. मी. लम्बाई में मार्गों का पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य लक्षित है। इस योजना में प्रथम चरण के अन्तर्गत चिन्हित कार्यों की योजनाएं तैयार कर निर्माण पूर्व आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है तथा चालू वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में रुपये 120.00 करोड़ (रुपये एक सौ बीस करोड़) की धनराशि प्रस्तावित की गई है। उक्त के अतिरिक्त अन्य मदों यथा बाढ व भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का सुधार, क्रोनिक स्लिप जोन का उपचार, लोक निर्माण भवन तथा पूल्ड आवास भवनों के निर्माण आदि मद हेतु रुपये 12.40 करोड़ (रुपये बारह करोड़ चालीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

सरकार द्वारा विशेष रूप से पूर्व में निर्मित अथवा स्वीकृत मोटर मार्गों आदि हेतु अधिगृहीत भूमि, फसल, पेडों, आदि के मुआवजे का शीर्ष प्राथमिकता पर भुगतान एवं जिन

मार्गों के निर्माण हेतु वन विभाग से वन भूमि हस्तान्तरित नहीं हुई है, ऐसे प्रकरणों का निस्तारण युद्ध स्तर पर किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु आय–व्ययक में रुपये 70.00 करोड़ (रुपये सत्तर करोड़) की व्यवस्था की जा रही है।

एस0सी0एस0पी0 तथा टी0एस0पी0 के अन्तर्गत प्रचलित मानकों के अनुसार पूर्व स्वीकृत कार्यों की प्रगति तथा नवीन कार्यों की स्वीकृति हेतु भी क्रमशः रुपये 55.21 करोड़ (रुपये पचपन करोड़ इक्कीस लाख) एवं रु0 24.71 करोड़ (रुपये चौबीस करोड़ इक्कहत्तर लाख) का बजट प्राविधान किया गया है। विभागीय कार्यों में पारदर्शिता तथा प्रभावी अनुश्रवण हेतु कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने का कार्य भी प्रारम्भ किया जा रहा है।

ऊर्जा :

राज्य की विद्युत मांग तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति औसत विद्युत उपलब्धता 1000 यूनिट से अधिक किये जाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के दृष्टिगत विद्युत की मांग में वृद्धि उचित लक्षण है। विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति, वहन योग्य दरों पर विद्युत आपूर्ति, पारदर्शी वितरण पद्धति तथा उपभोक्ता संतुष्टि के मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु

विद्युत उत्पादन व उपलब्धता में वृद्धि, विद्युत हानियों पर नियन्त्रण, नवीन तकनीकी का उपयोग, विद्युत सुरक्षा तथा विद्युत/ऊर्जा संरक्षण आदि पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

राज्य में अब तक लगभग 20,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता चिन्हित की गयी है, जबकि वास्तविक सम्भावना इससे कहीं अधिक है। विभिन्न जलागम क्षेत्रों में नदियों एवं जल–स्रोतों के आधार पर सम्प्रति 400 से अधिक योजनाएं चिन्हित की गयी हैं, जिनका क्रियान्वयन के दृष्टिकोण से स्थलीय सर्वेक्षण कराया जा रहा है। **हमारा प्रयास यह है कि समस्त नदी घाटियों एवं जलागम क्षेत्रों में जो भी जल विद्युत उत्पादन की क्षमता उपलब्ध हो, उसका अधिक से अधिक दोहन किया जाय।**

चिन्हित संभावना के सापेक्ष अभी तक केवल **2819 मेगावाट** क्षमता का ही दोहन हो सका है। वर्तमान में उक्त आंकलित क्षमता के सापेक्ष **लगभग 11480 मेगावाट** क्षमता की विभिन्न परियोजनायें राज्य सरकार के उपक्रम–उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों व विभिन्न निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से विकसित करने

के लिये आवंटित की जा चुकी हैं। मनेरी भाली–2 परियोजना (304मेगावाट), जिसका निर्माण कार्य कतिपय कारणों से वर्ष 1992 से पूर्णतः बन्द हो गया था, को पुनः प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना का समय से निर्माण विगत सरकार के कार्यकाल में पूर्ण नहीं हो पाया, अतः मेरी सरकार इसके निर्माण को इसी वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास कर रही है।

इस वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी ग्रामों को विद्युतीकृत करने हेतु कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2009 तक प्रत्येक घर तक विद्युत पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूर्ण करने का कार्य गतिमान है।

राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति व वन क्षेत्रों के दृष्टिगत कई दूरस्थ गांवों व तोकों में स्थानीय स्तर पर विद्युत जनन माध्यम से विद्युत पूर्ति के लिये उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोतों का विकास किया जा रहा है। इस प्रकार की योजनाओं के निर्माण, संचालन व रखरखाव में स्थानीय जनता की सक्रिय सहभागिता ली जा रही है।

पूरे प्रदेश के संचालनरत एवं बंद घराटों का सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा जनपद स्तर पर घराट संघटन व

राज्य स्तर पर घराट संघ गठित किये जा चुके हैं। जन सहभागिता से घराटों का निर्माण व आधुनिकीकरण कर ग्रामीण विद्युतीकरण व ऊर्जा आवश्यकता की स्थानीय स्तर पर पूर्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

वर्तमान में सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक विद्युत हानियां लगभग 38 प्रतिशत हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस हानि को 15 प्रतिशत के स्तर तक लाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में उच्च तकनीकी व प्रबन्धन का उपयोग तथा समाज के सभी पक्षों व हितसाधकों का सक्रिय योगदान व जागरुकता आवश्यक है। विद्युत/ऊर्जा संरक्षण से भी विद्युत खपत पर नियंत्रण से एक ओर अनुत्पादक विद्युत उपभोग को कम किया जा सकता है तो दूसरी ओर दक्षता/कार्यकुशलता में वृद्धि से उत्पादन–सेवा लागत पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में भी उच्च तकनीकी व प्रबंधन का उपयोग तथा समाज के विभिन्न पक्षों व हितसाधकों का सक्रिय सहयोग एवं जागरुकता–शिक्षा भी आवश्यक है। राज्य सरकार इस हेतु ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के प्राविधानान्तर्गत "ऊर्जा संरक्षण निधि" स्थापित कर रही है।

विभिन्न नदियों तथा जलागम क्षेत्रों का अध्ययन कर अतिरिक्त जलविद्युत क्षमता के चिन्हीकरण हेतु भी प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

पेयजल :

मेरी सरकार राज्य सेक्टर योजना के अन्तर्गत विभिन्न नगरीय पेयजल एवं सीवर योजनाओं, ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन, यात्रा मार्गों पर पेयजल व्यवस्था, चाल–खाल एवं नालों का जीर्णोद्धार, गंगा कार्य योजना प्रथम चरण में निर्मित कार्यों एवं पम्पिंग पेयजल योजनाओं के रख–रखाव तथा राज्य की महत्वपूर्ण नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु कृत संकल्प है, जिसके लिये रु0 336.43 करोड़ (रुपये तीन सौ छत्तीस करोड़ तैंतालीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

पेयजल स्रोतों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिये राज्य में तेजी से सूखते प्राकृतिक जल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण के लिये "राज्य स्तरीय जल संवर्द्धन मिशन" का गठन करने का निर्णय लिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल समस्याओं को दूर करने हेतु वर्तमान वर्ष में रु0 185.45 करोड़ (रुपये एक सौ पिच्चासी करोड़ पैंतालीस लाख) का व्यय करते हुए कुल 2589 तोकों को पेयजल से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जन सहभागिता के आधार पर पेयजल योजनाओं का निर्माण, क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (Sector Wide Approach Programme) के अन्तर्गत समग्र विकास किये जाने हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है।

प्रदेशवासियों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिये 407 नये हैण्डपम्पों की स्थापना, 1423 हैण्डपम्पों की मरम्मत तथा 6 नलकूप चालू करने एवं 11 मिनी नलकूपों का ऊर्जीकरण प्रस्तावित है। चारधाम यात्रा मार्गों पर 215 टैंक टाईप जलस्तम्भों तथा 309 पिलर टाईप जलस्तम्भों का निर्माण कराया जायेगा।

सिंचाई एवं लघु सिंचाई :

राज्य के असिंचित क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने तथा कृषि योग्य भूमि की बाढ़ से सुरक्षा हेतु मेरी

सरकार कृतसंकल्प है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने वित्तीय संसाधनों के साथ ही, भारत सरकार, नाबार्ड आदि स्रोतों से अधिक से अधिक वित्तपोषण हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।

टिहरी बांध प्रभावित क्षेत्र में कट ऑफ एरिया के निवासियों की आवागमन सुविधा हेतु ग्राम डोबरा के पास रु0 89.20 करोड़ (रुपये नवासी करोड़ बीस लाख) की लागत से झूला पुल का निर्माण कार्य गतिमान है।

राज्य के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में भू–जल संसाधनों का सुनियोजित दोहन, विकास एवं स्थिति के आंकलन के लिए लघु सिंचाई विभाग को भू–गर्भ जल संचय एवं वर्षा जल संवर्द्धन का कार्य भी सौंपा गया है। इस योजना के अन्तर्गत भू–जल क्षमता का आंकलन, भू–जल संरचनाओं के उपयुक्त प्रकार एवं संख्या के आंकलन एवं प्रदेश में भू–जल स्तर में हो रही गिरावट के नियन्त्रण हेतु इस वित्तीय वर्ष में रु0 9.12 करोड़ (रुपये नौ करोड़ बारह लाख) का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

परिवहन :

राज्य में सड़क परिवहन ही यातायात का मुख्य साधन है। हमारी सरकार जनता को सरल, सुलभ एवं सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की ओर सतत् प्रयत्नशील है। बस बेड़े में वृद्धि तथा सुदृढ़ीकरण कर सेवाओं के स्तर में सुधार हेतु यथोचित कदम उठाये जाएंगे।

राज्य में रेल सेवाओं के विस्तार हेतु किच्छा से खटीमा एवं मुजफ्फरनगर–रुड़की रेल लाईन के निर्माण हेतु भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु रु0 19.80 करोड़ (रुपये उन्नीस करोड़ अस्सी लाख) के आय–व्ययक का प्रस्ताव है। मुजफ्फरनगर–रुड़की लाईन के बन जाने से दिल्ली तथा देहरादून के मध्य यात्रा समय में 2 घंटे की बचत होगी।

केन्द्र सरकार की सहायता से देहरादून में चालक प्रशिक्षक संस्थान की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुमाऊँ मण्डल में एक चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, तथा ऋषिकेश में वाहनों की फिटनेस जाँच हेतु ऑटोमेशन टेस्टिंग लैंस के लिये बजट में प्रस्ताव किया जा रहा है।

सार्वजनिक सेवा यानों से सड़क दुर्घटनाओं में प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने हेतु मृतक आश्रित को रु0 50 हजार (रुपये पचास हजार), गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को रु0 20 हजार (रुपये बीस हजार) एवं सामान्य घायल को रु0 5 हजार (रुपये पांच हजार) की आर्थिक सहायता तत्काल प्रदान किये जाने का प्राविधान लागू कर दिया गया है।

नागरिक उड्डयन :

राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं पर्यटन विकास तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिये विमानन सम्बन्धी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

जौलीग्रान्ट तथा पन्तनगर हवाई अड्डों को अधिक क्षमता के बड़े विमानों के परिचालन हेतु तथा इन हवाई अड्डों को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के रूप में विशेषकर पन्तनगर हवाई अड्डे को कारगो एअरपोर्ट के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा जौलीग्रान्ट में 156 एकड़ तथा पन्तनगर में 176 एकड़ अतिरिक्त भूमि का प्रबन्ध कर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गई

है। दोनों हवाई अड्डों के विस्तारीकरण की योजना के लिये धनराशि भी निर्गत की जा चुकी है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे के रनवे का कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जायेगा।

नैनी सैनी हवाई पट्टी, पिथौरागढ़ से मध्यम क्षमता के विमानों के परिचालन हेतु हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के लिये अतिरिक्त भूमि क्रय करने के बाद हवाई पट्टी के विकास की योजना बनाई गयी है।

पर्वतीय क्षेत्रों में नैनीसैनी, गौचर एवं चिन्यालीसौड़ में निर्मित हवाई पट्टियां अभी तक क्रियाशील नहीं हो पायी हैं और इनमें अभी तक हवाई सेवाओं का व्यावसायिक संचालन नहीं हो पा रहा है। इन हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु निजी क्षेत्र के सहयोग से विमान सेवा आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में सार्थक पहल की जा रही है।

प्रत्येक जनपद में एक–एक हैलीपैड के निर्माण की योजना है। जौलीग्रान्ट में विमानों के अनुरक्षण हेतु हैंगर का निर्माण किया गया है। गौचर में भी एक हैंगर का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक विकास :

राज्य के लिए लागू विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन पैकेज के फलस्वरूप स्थापित हो रहे उद्योगों में न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम उद्योगों की सहभागिता से चलाया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने को दृष्टिगत प्रोत्साहन सुविधाएं एवं सहायता, अवस्थापना विकास एवं उपादान की योजना में रु0 6.25 करोड़ (रुपये छः करोड़ पच्चीस लाख) का आय–व्ययक प्रस्तावित किया गया है। इसी दिशा में कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, कृषि आधारित एवं स्थानीय पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

शिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) अत्यन्त सफलतापूर्वक प्रदेश में संचालित हो रही है।

आवास, शहरी विकास :

हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के निवासियों कों वरीयता देते हुए वहन योग्य दरों पर आवासीय भू–खण्ड़ व भवन उपलब्ध कराने हेतु आवास नीति बनायी जाय।

बढ़ते हुए शहरीकरण के दृष्टिगत नगरीय क्षेत्रों का सुनियोजित विकास तथा इन क्षेत्रों में भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए वांछित अवस्थापना विकास के लिये हमारी सरकार कटिबद्ध है। भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन (National Urban Renewal Mission) के अन्तर्गत चयनित शहरों हरिद्वार, देहरादून तथा नैनीताल नगरों के लिये रु0 11692 करोड़ (रुपये ग्यारह हजार छः सौ बयान्नवे करोड़) के पूंजी निवेश हेतु सिटि डेवलेपमेंट प्लान तैयार कर लिये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अंतर्गत विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर भारत सरकार से धनराशि प्राप्त की जायेगी। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक के माध्यम से शहरी क्षेत्रों के अवस्थापना विकास के लिये लगभग रु0 2000 करोड़ (रुपये दो हजार करोड़) की परियोजना भी तैयार की जा रही है।

इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 31 शहरों में पेयजल, सीवर, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन तथा सड़कों के निर्माण जैसे कार्य किये जायेंगे। इसी वित्तीय वर्ष में एशियन विकास बैंक से प्रस्तावित परियोजना को स्वीकृत कराकर इस पर कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

नगरीय क्षेत्रों की महायोजनाओं को तैयार करने तथा इन्हें लागू करने के प्रयासों में तेजी लायी जायेगी।

शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण :

2001 की जनगणना के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का साक्षरता प्रतिशत 71.60 है, जो कि भारत की साक्षरता प्रतिशत 65.38 से 6.22 प्रतिशत अधिक है। राज्य सरकार प्रदेश में शतप्रतिशत साक्षरता दर को प्राप्त करने हेतु कृतसंकल्प है।

शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों एवं जन–जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु राज्य के सभी 13 जनपदों में सर्व शिक्षा अभियान संचालित कराया जा रहा है। गत वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना रु0 160 करोड़ (रुपये एक सौ साठ करोड़) के

आकार को बढ़ाते हुए इस वर्ष रु0 253 करोड़ (रुपये दो सौ तिरपन करोड़) कर दिया गया है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए 19 विकास खण्डों के 760 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 6, 7 एवं 8 में अध्ययनरत लगभग 81,086 छात्रों को भी इस वर्ष से मिड–डे–मिल योजना से अच्छादित करने की योजना है।

चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 150 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम आरम्भ किये जाने हेतु रु0 1.95 करोड़ रुपये एक करोड़ पिच्चानवे लाख) की व्यवस्था की गयी है।

सुदूरवर्ती विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रदेश में 4956–विशिष्ट बी.टी.सी. एवं 4117–एल.टी. ग्रेड के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही को जुलाई, 2007 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

चालू वित्तीय वर्ष में ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु रु0 10.50 करोड़ (रुपये दस करोड़ पचास लाख) की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त हाई स्कूल एवं इण्टर कॉलेजों में विज्ञान के

प्रयोगात्मक कार्यों को प्रोत्साहन हेतु प्रयोगशाला निर्माण हेतु रु0 7 करोड़ (रुपये सात करोड़) की धनराशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु **तेजस्वी** योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवार की बालिकाओं को कक्षा 8 उत्तीर्ण करने एवं कक्षा 9 में प्रवेश करने पर रु0 3000 (रुपये तीन हजार) के विशेष अनुदान हेतु इस वर्ष एक करोड़ की धनराशि व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षकों को सत्रान्त लाभ प्रदान किये जाने की कार्यवाही भी गतिमान है।

राजकीय महाविद्यालय, मुनस्यारी, बलुवाकोट, खटीमा, बड़कोट, जोशीमठ तथा पुरोला में अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिये फर्नीचर व उपकरण हेतु रु0 75 लाख (रुपये पिचहत्तर लाख) की बजट व्यवस्था की गई है।

तकनीकी शिक्षा विभाग में विश्व बैंक सहायतित योजना–तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के अन्तर्गत इस वर्ष रु0 484 लाख (रुपये चार सौ चौरास्सी लाख) की धनराशि का व्यय प्रस्तावित है। राजकीय पॉलिटेक्निकों के

भवन निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए रु0 21.25 करोड़ (रुपये इक्कीस करोड़ पच्चीस लाख) की धनराशि की बजट व्यवस्था की गई है, जिसके अन्तर्गत कोटाबाग–रामनगर में महिला पॉलिटैक्निक एवं राजकीय पॉलिटैक्निक, कोटद्वार की स्थापना एवं वृहद् निर्माण कार्य सम्मिलित है।

यह हर्ष का विषय है कि प्रथम साउथ एशियन शीत खेलों की मेजबानी का दायित्व, एशियन शीत ओलंपिक संघ द्वारा राज्य को प्रदान किया गया है। इन खेलों के सफल आयोजन के लिए राज्य के बजट में रु0 10 करोड़ (रुपये दस करोड़) का प्राविधान किया गया है। केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा भी इन खेलों के सफल आयोजन हेतु इस वर्ष रु0 50 करोड़ (रुपये पचास करोड़) की अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

खेलों के विकास हेतु अवस्थापना सुविधा के अन्तर्गत 10 स्टेडियम, 08 इन्डोर हॉल एवं 02 तरणताल विद्यमान हैं, साथ ही 02 स्टेडियम, 02 इन्डोर हॉल अगस्तमुनि (रुद्रप्रयाग) में जनपद स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स, गोपेश्वर (चमोली) के स्टेडियम का विस्तारीकरण, बागेश्वर में बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल, स्पोर्ट्स कॉलेज–देहरादून में तरणताल तथा निदेशालय

भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसके लिये रु0 11 करोड़ (रुपये ग्यारह करोड़) का प्राविधान आय–व्ययक में किया गया है। उक्त के अतिरिक्त पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के आधार पर भी अवस्थापना सुविधा का सृजन का प्रयास किया जा रहा है।

युवा पीढ़ी के हितार्थ ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद क्रियाओं में विस्तार एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाय। वर्तमान में 35 स्टेडियम निर्माणाधीन हैं।

संस्कृति एवं पर्यटन :

देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप आदर्श प्रदेश की स्थापना हमारी सरकार का लक्ष्य है। इसी क्रम में सांस्कृतिक गतिविधियों के शोध कार्य हेतु सहायता, हिमालयी क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण एवं उन्नयन, जनजाति लोक कला का उन्नयन एवं विकास, विभिन्न सांस्कृतिक विधाओं में कार्य कर रहे नवकलाकारों को छात्रवृत्ति, साहित्यिक क्षेत्र में कार्य कर रहे विशिष्ठ कलाकारों को फेलोशिप तथा

सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने विषयक केन्द्र पोषित योजनाओं के लिए नई मांग के माध्यम से रु0 18 लाख (रुपये अठारह लाख) का प्राविधान किया गया है।

"वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों के लिये योजना में ऋण राशि रु0 15.00 लाख (रुपये पन्द्रह लाख) से बढ़ाकर रु0 20.00 लाख (रुपये बीस लाख) तथा राज सहायता रु0 3.75 लाख (रुपये तीन लाख पिचहत्तर हजार) से रु0 5.00 लाख (रुपये पांच लाख) अधिकतम कर दी गई है।

प्रदेश के चारधाम यात्रा मार्गों पर पर्यटकों व यात्रियों के बढ़ते दबाव के दृष्टिगत इस क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन व सृदृढ़ीकरण के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाये जाने हेतु राज्य के संसाधनों के अतिरिक्त जे0बी0आई0सी0 (जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन) से भी वित्तीय सहयोग प्राप्त किया जा रहा है।

देहरादून में भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से स्थापित होटल प्रबंधन संस्थान में छात्रों को छात्रावास की

सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रथम चरण में रु0 1 करोड़ (रुपये एक करोड़) का प्राविधान किया जा रहा है।

पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप मॉडल के अन्तर्गत टपकेश्वर (गढ़ीकैन्ट) के निकट पर्यटन विभाग की 10 एकड़ भूमि पर उच्च श्रेणी का होटल/कन्वेन्शन सेन्टर के निर्माण हेतु शीघ्र ही अनुबन्ध किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत लगभग रु0 7.00 करोड़ (रुपये सात करोड़) वार्षिक आय का अनुमान है।

पर्यटकों को मूल–भूत सुविधायें प्रदान करने के उद्देश्य से पर्यटक स्थलों एवं यात्रा मार्गों पर आधुनिक सुविधायुक्त 44 पर्यटन सुविधा/पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं।

राज्य के सुदूर क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्थलों पर सुगमता से पहुंचने के लिये पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप स्वरूप में रज्जुमार्ग (Rope way) स्थापित किये जायेंगे। केदारनाथ एवं यमुनोत्री हेतु रज्जुमार्ग की कार्य योजना तैयार की जा रही है तथा अन्य प्रमुख स्थानों हेतु अध्ययन किया जा रहा है।

यात्रा मार्गों पर मूलभूत सुविधाओं के लिये हरिद्वार, तपोवन, ऋषिकेश, मुनि की रेती, स्वर्गाश्रम, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग आदि स्थलों पर घाटों का निर्माण कराया जा रहा है।

यात्रा मार्गों पर पयर्टकों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है जो यात्रियों एवं पर्यटकों को सहयोग/सहायता प्रदान करेंगे।

चिकित्सा (एलोपैथी, आयुर्वेद व होम्योपैथ), परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा :

मेरी सरकार द्वारा मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं के विस्तार हेतु चरणबद्ध रूप से परिवार कल्याण उपकेंद्रों की स्थापना की जायेगी, जिसके लिये राज्य निधि से 400 उपकेंद्रों की स्थापना बजट में प्रस्तावित है। इन उपकेंद्रों पर ए0एन0एम0 की नियुक्ति "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन" के माध्यम से की जायेगी।

मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना आवश्यक है। इस हेतु Indian Public Health Standards के मानकों के अनुसार 200 परिवार कल्याण उपकेंद्रों का विस्तारीकरण किया जा

रहा है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक उपकेंद्र में एक प्रसव कक्ष तथा एक प्रतीक्षा कक्ष का निर्माण किया जायेगा।

किराये के भवनों में संचालित 164 परिवार कल्याण उपकेंद्रों का भवन निर्माण, 16 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भवन निर्माण व 22 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण के लिये आवश्यक बजट व्यवस्था की गई है।

उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों तथा सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु रु0 64.98 करोड़ (रुपये चौंसठ करोड़ अठान्नवे लाख) का प्राविधान किया गया है।

राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। इन क्षेत्रों में जनसामान्य को 10 सचल चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सा तथा निदान सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

दून चिकित्सालय, देहरादून में एम0आर0आई0, मैमोग्राफी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु राज्य के समस्त महिला चिकित्सालयों एवं संयुक्त चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से नियोनेटल यूनिटों की स्थापना की जायेगी।

राज्य में मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधित विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, जिस कारण यहाँ के रोगियों को दूसरे राज्यों में चिकित्सा उपचार हेतु जाना पड़ता है। इस हेतु देहरादून में राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना की जा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों व यात्रा मार्गों पर औसतन 50 कि0मी0 पर एक बेसिक ट्रोमा केयर की स्थापना प्रस्तावित है, जिसके क्रम में इस वर्ष 03 ट्रोमा केयर सेंटर की स्थापना की जायेगी जिस हेतु रु0 2.10 करोड़ (रुपये दो करोड़ दस लाख) का प्राविधान किया गया है।

इसके अतिरिक्त दो स्थानों पर ब्लड बैंक के भवन का निर्माण किया जायेगा जिस हेतु रु0 40 लाख (रुपये चालीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

इस वर्ष 06 ब्लॉक मुख्यालयों पर शव विच्छेदन गृह का निर्माण किया जायेगा जिस हेतु रु0 1.20 करोड़ (रुपये एक करोड़ बीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु परिवार कल्याण उपकेंद्रों को उच्चीकृत एवं ए0एन0एम प्रशिक्षण केंद्रों का पुनर्निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मियों को भिन्न–भिन्न विधाओं में प्रशिक्षण दिया जायेगा। एक ही चिकित्सालय में एलोपैथी, होम्योपैथी तथा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतियों की सुविधा जनसामान्य को उपलब्ध कराने हेतु समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला चिकित्सालयों, संयुक्त चिकित्सालयों में आयुष विंग की स्थापना की जायेगी।

उत्तराखण्डवासी विशिष्ट चिकित्सा उपचार एवं निदान सुविधाओं हेतु बहुधा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली एवं अन्य चिकित्सालयों में जाते हैं। वहाँ पर रोगियों के परिजनों को ठहरने हेतु उचित सुविधा न होने के कारण उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राज्य

सरकार उत्तराखण्ड के रोगियों के परिजनों हेतु शासकीय व्यय पर ठहरने की व्यवस्था करेगी।

श्रीनगर मेडिकल कॉलेज को शीघ्र क्रियाशील करने हेतु भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु रु0 25 करोड़ (रुपये पच्चीस करोड़) का प्राविधान किया गया है। कॉलेज की स्थापना के लिए रु0 12.91 करोड़ (रुपये बारह करोड़ इक्यानवे लाख) की बजट व्यवस्था की गई है।

राज्य में जन सामान्य को आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार निरन्तर प्रयासरत है।

प्रदेश के प्रत्येक जनपद में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयुष ग्राम की स्थापना की जाएगी ।

ऋषिकुल एवं गुरुकुल स्थित शैक्षणिक हर्बल गार्डन का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

चिकित्सा, पर्यटन एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज (हरिद्वार) में पंचकर्म प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा।

होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों तथा फार्मासिस्टों को प्रशिक्षण की नई योजना बनाई गई है।

समाज कल्याण :

समाज में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांगों एवं सभी कमजोर वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिये हमारी सरकार वचनबद्ध है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन एवं अल्पसंख्यक के क्रमशः 496000, 92653, 57000, 2500 तथा 179168 छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति हेतु रु0 68.97 करोड़ (रुपये अड़सठ करोड सत्तानवे लाख) का प्राविधान किया गया है।

इसी प्रकार देहरादून के कालसी में अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों के लिये ''एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय'' के भवन निर्माण हेतु रु0 2.20 करोड़ (रुपये दो करोड़ बीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

समाज के निःशक्त एवं अक्षम व्यक्तियों को समाज में आत्म सम्मान भरा जीवन व्यतीत करने हेतु विकलांग भरण–पोषण अनुदान के लिये रु0 16.00 करोड (रुपये सौलह

करोड़) धनराशि का प्राविधान किया गया है, जिससे 27,756 व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

प्रदेश की असहाय एवं निराश्रित विधवा महिलाओं को संरक्षण एवं आत्म विश्वास प्रदान करने हेतु रु0 400 (रुपये चार सौ) प्रति माह निराश्रित विधवा पेंशन देकर लाभान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2007–08 में रु0 34.58 करोड़ (रुपये चौंतीस करोड़ अठावन लाख) की धनराशि से 58,250 निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन से आच्छादित किया जायेगा।

समाज कल्याण के अधीन संचालित विभिन्न आश्रम पद्धति विद्यालयों, संप्रेक्षण गृहों व अन्य आवासीय गृहों व विद्यालयों में निवासरत समस्त अध्यासियों की भोजन मदों को पुनरीक्षित कर प्रतिमाह रु0 500 (रुपये पांच सौ) से बढ़ाकर विभिन्न मदों में रु0 800 (रुपये आठ सौ), रु0 1000 (रुपये एक हजार) एवं रु0 1200 (रुपये एक हजार दो सौ) कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों की इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को कन्याधन के रुप में रु0 25,000 (रुपये पच्चीस

हजार) मात्र की धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में दिये जाने की योजना **को व्यापक स्वरूप देते हुए इस वर्ष "गौरा देवी कन्या धन योजना" के नाम से सभी वर्गों के बी0पी0एल0 परिवारों की कन्याओं को लाभान्वित किया जायेगा।** इस योजना हेतु रु0 20 करोड़ (रुपये बीस करोड़) का प्राविधान किया गया है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी छात्रों को आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 परीक्षाओं के लिये परीक्षा पूर्व कोचिंग देने हेतु जनपद देहरादून एवं अल्मोड़ा में स्थित कोचिंग सेन्टरों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है, जिसके लिये रु0 35 लाख (रुपये पैतीस लाख) का प्राविधान किया गया है।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास :

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता"

हमारी सरकार मातृ शक्ति का सम्मान करते हुए महिलाओं को सशक्त करने हेतु एवं बच्चों के कल्याण एवं उत्थान के लिये वचनबद्ध है।

एकीकृत बाल विकास सेवाओं का लाभ सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में पूर्व से संचालित 7792 आंगनवाड़ी केन्द्रों के अलावा 1872 नये आंगनवाडी केन्द्रों तथा 2676 नये मिनी आंगनबाडी केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय करते हुए शिशु मृत्यु दर को 2010 तक 28 के स्तर पर लाना एवं बाल मृत्यु दर को 15 के स्तर तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

किशोरी शक्ति योजना के अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुए 24 बाल विकास परियोजनाओं में 1,361 किशोरी समूहों के प्रशिक्षण हेतु विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाएंगे।

उत्तराखण्ड की महिलाओं की कठिन दिनचर्या एवं अत्यधिक कार्यबोझ को दृष्टिगत रखते हुए इन्दिरा महिला समेकित विकास योजना के अंतर्गत राजकीय विभागों एवं गैर–सरकारी संगठनों के समन्वित सहयोग से विविध परियोजनायें संचालित की जा रही हैं, जिनके लिए रु0 6 करोड (रुपये छः करोड़) का प्राविधान है।

सैनिक कल्याण :

हमारा प्रदेश **"देवभूमि"** के साथ ही **"वीरभूमि"** की भी श्रेणी में आता है– औसतन यहाँ हर परिवार से न्यूनतम एक सदस्य सेना में है। मेरी सरकार पूर्वसैनिकों तथा वर्तमान में सेवारत् सभी सैनिकों की देश सेवा का सम्मान करते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिये वचनबद्ध है।

हमारा यह भी प्रयास है कि सरकार विकास के हर क्षेत्र में पूर्वसैनिकों की सहभागिता सुनिश्चित करे।

भारत सरकार के सहयोग से Eco Task Force के अन्तर्गत 4 अतिरिक्त कम्पनियों से सघन वनीकरण का कार्य कराना प्रस्तावित है।

वीरता पुरस्कार से अलंकृत सैनिकों को देय अनुदान एवं वार्षिकी (Annuity) में वृद्धि सम्बन्धी कार्यवाही गतिमान है।

श्रम, रोजगार तथा प्रशिक्षण :

श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रदेश में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया।

प्रदेश में श्रमिकों के हित में श्रम कल्याण निधि का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न श्रोतों से रु0 41 लाख (रुपये इकतालीस लाख) की धनराशि जमा की गयी।

सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स योजनान्तर्गत राज्य के तीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में भारत सरकार के सहयोग से व्यवसायों को उच्चीकृत करते हुए आवश्यक साजसज्जा की उपलब्धता सुनिश्चित कर **सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स** के रूप में विकसित किया जा रहा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति :

प्रदेश की जनता को अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न एवं चीनी तथा मिट्टी तेल उचित मूल्य पर सुलभ कराना, केन्द्रीय पूल के लिये गेहूँ व चावल की खरीद कराना, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का क्रय

करना, गोदामों में भण्डारण तथा उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को आवंटन करना, चीनी की उपलब्धता बनाये रखना, प्रदेश में अवैध बाटों तथा मापों के प्रचलन व घटतौली की रोकथाम, उपभोक्त संरक्षण हेतु जागरुकता पैदा करना आदि जनहितकारी योजनायें विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं।

महिलाओं के कार्यबोझ को कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वनों को बचाने हेतु दुर्गम क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन की उपलब्धता के लिये नई मांग के माध्यम से रु0 8 करोड़ (रुपये आठ करोड़) की व्यवस्था की जा रही है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी :

प्रदेश में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देना, संस्थाओं को एक साथ जोड़ना, विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय, उद्योग तथा शैक्षणिक जगत के मध्य सहयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव संसाधन का विकास, प्रौद्योगिकी आधारित व्यापार को प्रोत्साहन, आधारी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान के

विकास हेतु प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से राज्य में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की स्थापना की गई है।

शोध एवं विकास प्रदर्शन एवं विस्तार, विज्ञान लोकव्यापीकरण एवं सांइस सिटी का गठन, हिमालयन सिस्टम साइंस, महिला एवं कमजोर वर्ग हेतु साइंस सोसाइटी कार्यक्रम, उद्यमिता विकास जैसे मुख्य कार्यक्रम परिषद् की कार्ययोजना मे सम्मिलित हैं।

उत्तराखण्ड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण हेतु चार प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रों की स्थापना की जा रही है।

उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु कुल रु0 9.70 करोड़ (रुपये नौ करोड़ सत्तर लाख) का बजट प्राविधान का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके अन्तर्गत उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केन्द्र हेतु भूमि का क्रय, परिसर का निर्माण, इन हाऊस अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण इत्यादि कार्य प्रस्तावित हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी :

वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी व इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कार्य सम्पन्न करने का है। इन्हीं उपयोगिताओं व आवश्यकताओं के दृष्टिगत राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना परिकल्पित की गई है, जिसे राज्य में भी चलाया जा रहा है। ई–गवर्नेन्स के अन्तर्गत जनता को विभिन्न सेवायें उनके नजदीक उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत राज्य में डाटा सेन्टर की स्थापना की जा रही है तथा स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (State Wide Area Network-SWAN) का क्रियान्वयन किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम स्तर तक राज्य में लगभग 2825 स्थानों में ई–सेवा केन्द्र (Common Service Centre-CSC) स्थापित करने की योजना को भी प्रारम्भ किया गया है। विभागों/विभागीय कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

कृषि, जलागम एवं गन्ना विकास :

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, विकास एवं उचित प्रबन्धन के साथ–साथ उत्पादकता व जीविकोपार्जन के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से विश्व बैंक वित्तपोषित लगभग रु0 402.00 करोड़ (रुपये चार सौ दो करोड़) लागत की

परियोजना उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना ''ग्राम्या'' वर्ष 2004 में प्रारम्भ की गई है तथा योजना की अवधि 7 वर्ष की है।

क्षमता विकास परियोजना के लिए रु0 73.24 करोड (रुपये तिहत्तर करोड़ चौबीस लाख) का बजट प्राविधान किया जा रहा है, जिसमें महिला कल्याण कार्यक्रमों पर लगभग रु0 21.27 करोड़ (रुपये इक्कीस करोड़ सत्ताईस लाख) सम्मिलित हैं।

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से वार्षिक योजना 2007–08 के प्रारूप में कृषि क्षेत्र के लिए उपलब्ध सभी संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबन्धन एवं दोहन पर विशेष बल दिया गया है तथा राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की समन्वित विकास की वृद्धि दर बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

नये प्रयासों के अन्तर्गत वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में उगायी जाने वाली विशिष्ट फसलों को प्रोत्साहित करने हेतु संरक्षित कृषि कार्यक्रम (Protected Agriculture Scheme) प्रस्तावित किया गया है। इसके अन्तर्गत किसानों को विशिष्ट फसलों को अपनाने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी तथा

उन्हें वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र में उगायी जाने वाली विविध स्थानीय फसलों के उत्पादन को बढ़ाने तथा उनकी उत्पादकता में सुधार किये जाने हेतु स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम इस वर्ष से कार्यान्वित किया जायेगा।

पर्वतीय क्षेत्र विशेष में सिंचन क्षमता को बढ़ाने हेतु वर्षा जल के अधिकाधिक संरक्षण एवं कृषि हेतु उपयोग में लाये जाने के लिये वाटर हार्वेस्टिंग कार्यक्रम प्रस्तावित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग तथा पक्की संरचनाओं के निर्माण पर विशेष बल दिया जायेगा, ताकि वर्षा जल का अधिक से अधिक संग्रहण किया जा सके।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा फसल, उद्यान एवं मत्स्य बीज उत्पादन के लिए कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर को रु0 5.80 करोड़ (रुपये पांच करोड़ अस्सी लाख) धनराशि की नई परियोजना स्वीकृत की गई है।

हम भारत सरकार के आभारी हैं कि 2007–08 के केन्द्रीय बजट में गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी

विश्वविद्यालय को एक्सीलेन्स (Excellence) केन्द्र मानने के साथ रु0 50 करोड़ (रुपये पचास करोड़) का अनुदान दिये जाने की घोषणा की है।

गन्ना उत्पादकों को गन्ना उत्पादन की नई तकनीक/प्रजातियों एवं गतिविधियों के संबंध में प्रशिक्षित/जागृत करने हेतु प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में एक क्षेत्रीय सूचना केन्द्र तथा जनपद हरिद्वार में गन्ना शोध केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

गन्ना किसानों के बकाया भुगतान हेतु सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को रु0 25 करोड़ (रुपये पच्चीस करोड़) ऋण उपलब्ध कराया जायेगा।

उद्यान :

प्रदेश के आर्थिक विकास में औद्यानिक क्षेत्र का विशेष महत्व है। इसे दृष्टिगत रखते हुए मेरी सरकार वर्ष 2007–08 में निम्नलिखित योजनाएं प्रस्तावित कर रही है :–

मानव संसाधन विकास योजना के अंतर्गत सचल दल केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण।

प्रचार–प्रसार हेतु साहित्यों का प्रकाशन, प्रशिक्षण शिविर तथा विशिष्ट प्रदर्शन कराये जाना।

पर्यावरण सुरक्षा के साथ फलों की पैकिंग हेतु पुराने प्रचलित लकड़ी के बक्सों के स्थान पर कोरोगेटेड बक्सों को प्रोत्साहित किया जाना।

चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2007–08 में 35 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय बागान स्थापित करने का लक्ष्य है।

काश्तकारों के उद्यानों की जंगली जानवरों आदि से सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है।

फलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि हेतु नई किस्मों को बाहर से आयात कर सघन वृक्षारोपण (हाईडेन्सिटी) किया जाना।

मशरूम उत्पादन योजना में किसानों को राजसहायता पर स्पान (मशरूम बीज) एवं पाश्चुराइज्ड कम्पोस्ट वितरित किया जाना।

कुमाऊँ मण्डल के जनपद अल्मोड़ा में एक जड़ी–बूटी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाना।

प्रदेश में फूलों की खेती को प्रोत्साहन प्रदान कर इस वर्ष इसके अधीन आच्छादित क्षेत्रफल को डेढ़ गुना से अधिक करने के लिये प्रयास करेगी।

भेषज संघों की प्राथमिक एवं केन्द्रीय समितियों में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान में अपर्याप्त है। इन समितियों में महिलाओं की भागीदारी कम से कम 30 प्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

डेरी विकास, मत्स्य विकास तथा पशुपालन :

प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन में महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत सुनिश्चित की जायेगी।

डेरी विकास योजना के अन्तर्गत दुग्ध संग्रह, प्रसंस्करण व विपणन हेतु दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण, महिला डेरी विकास योजनान्तर्गत ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक उत्थान, राज्य के दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु सहकारी डेरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, धारी जनपद नैनीताल में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियों के गठन और सुदृढ़ीकरण प्राविधानित हैं।

प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों में उपलब्ध प्रचुर जल सम्पदा का समुचित उपयोग कर जन सामान्य के सर्वांगीण विकास, निर्धन परिवारों को प्रोटीनयुक्त आहार की उपलब्धता, रोजगार एवं आय के अतिरिक्त स्त्रोत के रूप में मत्स्य पालन को प्रदेश में प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा निर्बल एवं पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान के प्रति राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

प्रदेश के मत्स्य फार्मों/हैचरियों के आधुनिकीकरण, रूड़की जनपद हरिद्वार में मत्स्य विपणन इकाई के निर्माण प्रस्तावित हैं, इसके साथ रोजगार एवं अतिरिक्त आय के साधनों के सृजन हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

पशुपालन विभाग अपने इस उददेश्य की पूर्ति हेतु दृढ़ संकल्प एवं प्रयत्नशील है कि प्रदेश में उपलब्ध कुल पशु सम्पदा 49.43 लाख व कुक्कुट सम्पदा 19.84 लाख का विकास इस दृष्टि से किया जाये कि पशुओं की संख्या के अनुसार उनकी उत्पादन क्षमता व उत्पादकता में निरन्तर अभिवृद्धि करते हुए, पशुपालक, कृषक एवं पिछड़े वर्ग के परिवारों को रोजगार के उत्तम साधन उपलब्ध हो सकें और वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकें।

प्रदेश मे गोवध पर प्रतिबंध को व्यापक बनाने हेतु आवश्यक विधिक व्यवस्था की जायेगी।

गौवंश नस्ल सुधार पंचगत्य औषधियों (गौ चिकित्सा) को तैयार करने तथा प्रति जैविक दवाओं (Antibiotic) के प्रचलन कम करने हेतु गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना चमोली जनपद में किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु रु0 3 करोड़ (रुपये तीन करोड़) का बजट प्राविधान किया गया है।

विभाग द्वारा संचालित चारा विकास की योजनाओं में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है जिसके लिए पृथक से प्राविधान किया गया है।

वन :

वानिकी, उत्तराखण्ड राज्य की एक प्रमुख गतिविधि है। बांस एवं रिंगाल, च्यूरा, थुनेर आदि की रोजगारपरक वृक्षारोपण योजनायें लागू की गयी हैं. तराई एवं भाबर क्षेत्र में यूकेलिप्टस तथा पापुलर के क्लोनल वृक्षारोपण स्थापित किये जा रहे हैं।

जल संरक्षण करने वाली चौड़ी पत्तियों के वृक्ष प्रजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन की नई योजना हेतु रु0 2 करोड़ (रुपये दो करोड़) का प्राविधान किया गया है। विभाग की वनीकरण संबंधी समस्त योजनाओं में जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों को अनिवार्य बनाया गया है।

नई योजनाओं के अन्तर्गत उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बुग्याल को संरक्षित करना प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड के वन सम्पदा एवं वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित क्षेत्रों की फॉरेस्ट चौकियों तथा अन्य संवेदनशील चौकियों का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

दूरस्थ वन क्षेत्रों में कार्यरत वन कर्मियों के परिवारों को सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार तथा उत्तरकाशी में पुलिस लाईन की भाँति **"फारेस्ट लाईन"** तैयार की जाएगी।

ग्राम्य विकास :

राज्य में बी0पी0एल0 सर्वेक्षण, 2002 के अनुसार आवासविहीन ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास भूमि उपलब्ध न होने के कारण आवास बनाया जाना सम्भव नहीं है या ऐसे परिवार जिनके मकान पूर्णतः कच्चे हैं और इन्दिरा आवास योजना की परिभाषा के अनुसार वे पात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं, के लिये उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण आवास योजना** के नाम से योजना प्रस्तावित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सेक्टर से आवास निर्माण के लिये रु0 25000 (रुपये पच्चीस हजार) की धनराशि अनुदान के रूप में देय होगी। इस योजना के अन्तर्गत शेष दिशा निर्देश इन्दिरा आवास योजना के दिशा निर्देश लागू होंगे। इसके लिए रु0 32.50 करोड़ (रुपये बत्तीस करोड़ पचास लाख) का प्राविधान किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 500 एवं उससे अधिक आबादी की सभी बसावटों को सड़क से जोड़ने हेतु वन भूमि सम्बन्धी लम्बित प्रस्तावों के निस्तारण के लिये

प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जा रही है तथा निर्माण कार्य में तेजी लायी जाएगी।

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों को क्रमिक आधार पर उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा।

न्याय :

आम जनता की सुविधा के लिये फौजदारी वादों के त्वरित निस्तारण हेतु शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता पर आधारित त्वरित न्यायालयों के निर्माण हेतु पूंजीगत मद में रु0 10 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इस धनराशि में से आधी धनराशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व :

राजस्व पुलिस के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत पटवारी चौकियों का निर्माण हेतु रु0 10 करोड़ (रुपये दस करोड़) का प्रस्ताव किया गया है।

द्वितीय चरण में राजस्व पुलिस के आधुनिकीकरण हेतु कानूनगो चौकियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये आवश्यक बजट व्यवस्था की गई है।

उत्तराखण्ड में भूमि के अनियंत्रित क्रय–विक्रय की बढ़ती प्रवृत्ति तथा भूमाफियाओं पर अंकुश लगाये जाने हेतु हमारी सरकार द्वारा सुसंगत नियमों में कतिपय संशोधन कर निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :–

कोई भी व्यक्ति स्वयं के परिवार के (परिवार का तात्पर्य पति, पत्नी, नाबालिग सन्तान, अविवाहित पुत्र व अविवाहित पुत्री तथा आश्रित माता–पिता से है) आवासीय प्रयोजन हेतु भले ही वह धारा 129 के अधीन खातेदार या उत्तराखण्ड में किसी अचल सम्पत्ति का स्वामी न हो, बिना किसी अनुमति के अपने जीवनकाल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है।

कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से भूमि खरीदता है, जिसके पक्ष में ले–आउट प्लान अनुमोदित है, तो 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि क्रय करने के लिये उसे शासन की अनुमति लेनी होगी। अन्यथा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

भूमि क्रय के दिये गये आवेदन–पत्र का 90 दिन के अन्दर निस्तारण न होने पर स्वतः भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त होने सम्बन्धी प्राविधान को समाप्त कर दिया गया है।

आबकारी :

आबकारी की नई नीति बनाई गई है, इसमें मुख्यतः निम्नलिखित प्राविधान किये गये हैं :–

आबकारी नीति में मदिरा की दुकानों के लिए आवेदन–पत्र फीस (प्रोसेसिंग फीस) रु0 7500.00 (रुपये सात हजार पांच सौ) रखी गई जिसके फलस्वरूप राजस्व वृद्धि का अनुमान है।

इस वर्ष रु0 417.00 करोड़ (रुपये चार सौ सत्रह करोड़) का राजस्व अर्जन का लक्ष्य रखा गया है।

जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष मदिरा की दुकानें प्रातः 11.00 बजे से 8.00 बजे तक खोले जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश के बाहर के विदेशी मदिरा के निर्माता केवल अपनी आसवनी के विदेशी ब्राण्ड्स ही उत्तराखण्ड में बेच सकेंगे।

कोई भी मदिरा की दुकान स्कूल, धार्मिक स्थल, चिकित्सालय, मुख्य राष्ट्रीय/राजमार्ग, यात्रा–मार्ग एवं मलिन बस्तियों के समीप नहीं खोली जाएगी।

नियोजन विभाग :

विकास कार्यक्रम मद में 5 जनपदों के 9 विकासखण्डों हेतु रु0 11.55 करोड़ (रुपये ग्यारह करोड़ पचपन लाख) का आय–व्ययक प्रस्तावित है। इसी प्रकार सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण मद में रु0 2.76 करोड़ (रुपये दो करोड़ छिहत्तर लाख) का आय–व्ययक प्रस्तावित किया गया है। इसके अतिरिक्त भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण में रु0 5.40 करोड़ (रुपये पांच करोड़ चालीस लाख) का आय–व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत रु0 40.40 करोड़ (रुपये चालीस करोड़ चालीस लाख) का आय–व्ययक प्रस्तावित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अब योजना का स्वरूप परिवर्तित कर बी0आर0जी0एफ0 (Backward Region Grant Fund) कर दिया गया है।

विभागों द्वारा कराये जा रहे विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के साथ गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से इनका तकनीकी परीक्षण/मूल्यांकन आवश्यक है। इसके लिए देश के प्रतिष्ठित तकनीकी मूल्यांकन संगठनों की सेवाएं प्राप्त करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि तटस्थ जांच परिणाम प्राप्त हो सकें। इस कार्य हेतु रु0 1 करोड़ (रुपये एक करोड़) का बजट प्रस्तावित है।

मान्यवर,

अब मैं, वित्तीय वर्ष, 2007–08 के बजट अनुमानों के बारे में प्रमुख बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूँगा।

वर्ष 2007–08 के बजट का वित्तीय विवरण :

प्राप्तियाँ :

वर्ष 2007–08 में रु0 10868.60 करोड़ (रुपये दस हजार आठ सौ अड़सठ करोड़ साठ लाख) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

कुल प्राप्तियों में रु0 9016.49 करोड़ (रुपये नौ हजार सोलह करोड़ उनचास लाख) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा

रु0 1852.10 करोड़ (रुपये एक हजार आठ सौ बावन करोड़ दस लाख) की पूंजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

वर्ष 2007–08 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश रु0 3990.52 करोड़ (रुपये तीन हजार नौ सौ नब्बे करोड़ बावन लाख) है। इसमें केन्द्रीय करों में राज्य का अंश रु0 1245.09 करोड़ (रुपये एक हजार दो सौ पैतालीस करोड़ नौ लाख) सम्मिलित है।

व्यय :

वर्ष 2007–08 में राज्य को ऋणों के प्रतिदान पर लगभग रु0 495.16 करोड़ (रुपये चार सौ पिच्चानवे करोड़ सोलह लाख), ब्याज की अदायगी के रूप में लगभग रु0 1150.42 करोड़ (रुपये एक हजार एक सौ पचास करोड़ बयालीस लाख), राज्य कर्मचारियों के वेतन–भत्तों आदि पर लगभग रु0 2560.62 करोड़ (रुपये दो हजार पांच सौ साठ करोड़ बासठ लाख), पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्तिक लाभों के रूप में लगभग रु0 498.03 करोड़ (रुपये चार सौ अठानवे करोड़ तीन लाख) व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2007–08 में कुल व्यय रु0 11128.23 करोड़ (रुपये ग्यारह हजार एक सौ अठ्ठाईस करोड़ तेईस लाख) अनुमानित है।

कुल व्यय में रु0 8072.58 करोड़ (रुपये आठ हजार बहत्तर करोड़ अठावन लाख) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रु0 3055.65 करोड़ (रुपये तीन हजार पचपन करोड़ पैंसठ लाख) पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि का घाटा :

समेकित निधि में रु0 4788.08 करोड़ (रुपये चार हजार सात सौ अठासी करोड़ आठ लाख) आयोजनागत पक्ष में तथा रु0 6340.15 करोड़ (रुपये छः हजार तीन सौ चालीस करोड़ पन्द्रह लाख) आयोजनेत्तर पक्ष में व्यय प्रस्तावित है। राजस्व व्यय में रु0 2319.15 करोड़ (रुपये दो हजार तीन सौ उन्नीस करोड़ पन्द्रह लाख) आयोजनागत तथा रु0 5753.43 करोड़ (रुपये पांच हजार सात सौ तिरेपन करोड़ तैंतालीस लाख) आयोजनेत्तर पक्ष में अनुमानित है। इसी प्रकार रु0 2468.93 करोड़ (रुपये दो हजार चार सौ अड़सठ करोड़ तिरानवे लाख) आयोजनागत पूंजी लेखा तथा रु0 586.71

करोड़ (रुपये पांच सौ छयासी करोड़ इकहत्तर लाख) आयोजनेत्तर पूंजी लेखा प्रस्तावित है।

लोक–लेखा से समायोजन :

वर्ष 2007–08 में समेकित निधि का घाटा पूरा करने के लिए रु0 150.00 करोड़ (रुपये एक सौ पचास करोड़) लोक–खाता से समायोजित किए जायेंगे।

अंतिम शेष :

वर्ष 2007–08 में प्रारम्भिक धनात्मक शेष रु0 08.22 करोड़ (रुपये आठ करोड़ बाईस लाख) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम ऋणात्मक शेष रु0 73.41 करोड़ (रुपये तिहत्तर करोड़ इकतालीस लाख) होना अनुमानित है। इस ऋणात्मक शेष को व्यय में कमी लाकर तथा आय के स्रोतों में वृद्धि कर कम किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

मान्यवर,

अन्त में, मैं, मंत्रिमण्डल के अपने समस्त सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करना चाहूँगा जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करना सम्भव हो सका। मैं सी0आई0आई0 तथा नाबार्ड एवं अन्य संगठनों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने

आय–व्ययक की संरचना हेतु उपयोगी सुझाव दिए हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जो सहायता मुझे बजट बनाने और उसको समय से प्रस्तुत करने में दी है, उसके लिए, मैं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं उनके अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनके द्वारा इस कार्य में दी गई सहायता के लिए भी कृतज्ञ हूँ। राजकीय मुद्रणालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनके अथक परिश्रम एवं सहयोग से बजट साहित्य का मुद्रण समय से किया जा सका।

आइये, हम सब मिलकर इस देवभूमि को विकास की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ायें और इसे भारत के सबसे सम्पन्न, विकसित व संस्कारित प्रदेश का रूप दें।

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुःख भाग भवेत।

इन शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं, वर्ष 2007–08 का आय–व्ययक प्रस्तुत करता हूँ।

आषाढ़ 11, शक संवत् 1929
तदनुसार
02 जुलाई, 2007